

सरकार के अवर सहित।

15/08/2015

प्रति।  
प्रतिनिधि: आर्टोटीओ सैनजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट से प्रकाशनाथ

कार्यवाही हेतु प्रति।  
प्रतिनिधि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति।

प्रतिनिधि: अन्तर्देशक, स्वास्थ्य अस्पताल, राजनीर संप्रति आतिथिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पावापुरी (निरियक) को सूचनाएं एवं

प्रतिनिधि: स्वास्थ्य तालिका सहित अर्जुण की एक प्रति 10 वसंत कुमार, बिक्रम पदाधिकारी, /स्वा, पटना, दिनांक : 17/8/2015  
कापाड : 731 (9)  
सरकार के अवर सहित।  
₹0/-

आवश्यक कार्रवाई प्रति।  
प्रतिनिधि: स्वास्थ्य तालिका सहित अर्जुण की एक प्रति सिविल सर्जन, नांदा को सूचनाएं एवं  
कापाड : / स्वा, पटना, दिनांक :  
सरकार के अवर सहित।  
₹0/-

प्रतिनिधि: स्वास्थ्य तालिका एवं अर्जुण की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, 10 जगदीश सिंह, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को इस अर्जुण के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।  
कापाड : / स्वा, पटना, दिनांक :  
सरकार के अवर सहित।  
₹0/-

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**

पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य ध्यान दी जाय।  
आदेश: आदेश दिया जाता है कि अर्जुण की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित आरोप पत्र (अर्जुण) एवं साथ इसके साथ ही निर्गत किया जा रहा है।  
उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक है।  
10 वसंत कुमार, को संचालन पदाधिकारी से निर्देन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थान पदाधिकारी से निवेदन किया जाता है।  
विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए 10 जगदीश सिंह, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है।  
10 वसंत कुमार, असीनिक सहायक राज्य बिक्रम को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष कार्यवाही बलायी जाय।  
संबंध(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अधीन) नियमावली-2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित शैली से विभागीय उक्त 10 वसंत कुमार, के विरुद्ध अर्जुण में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकार से निर्णय लिया है कि:-  
में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित धार कदाचार, अवज्ञा एवं सरकार के आदेश के उल्लंघन के दोषी है। अतः सरकार पदाधिकारी, अन्तर्देशक अस्पताल, राजनीर संप्रति आतिथिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पावापुरी (निरियक) अर्जुण के बिहार राज्यपाल को विवेचन करने का कारण है कि 10 वसंत कुमार, बिक्रम

**संकल्प**

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
सं0सं10-9/आ10-1-35/2012